माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी नि- 10 - III 16

शिवलाल पिता दयाराम जाति अहीर निवासीग्राम नरवल, परगना व जिला आगर (म0प्र0)

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हीरालाल पिता रामसिंह जाति अहीर निवासी नरवल, तहसील व जिला आगर
2. गज्जू उर्फ गोरधन पिता हीरालाल जाति अहीर निवासी नरवल, तहसील व जिला आगर
3. मदनलाल सूर्यवंशी पटवारी ग्राम नरवल, तहसील व जिला आगर ....अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय आगर के सीमांकन प्रकरण कमांक 60 अ–12/2015 आदेश दिनांक 22.08.2015 सीमांकन हेतू जारी की कार्यवाही दिनांक 01.07.2015 में की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता के द्वारा म.प्र.भू.रा.सहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि; निगरानीकर्ता ग्राम नरवल तहसील आगर का कृषक होकर निगरानीकर्ता के नाम से हल्का पटवारी के रिकॉर्ड में भूमि सर्वे कमांक 419/1, रकबा 1.000 हेक्टयर, नाम से दर्ज होकर उसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

2. यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त भूमि विधिवत रूप से अनावेदक कमांक 1 हीरालाल पिता रामसिंह अहीर से विधिवत रूप से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नामांतरण करवाया था तथा तभी से निगरानीकर्ता उक्त भूमी पर काबिज होकर भूमी स्वामी के रूप में इसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहा है।

(17)

XXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-10-तीन/16 जिला - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.सी. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	